

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 22.11.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-40 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01.थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामलौटन पुत्र स्व० दासू सोनकर नि० गनेशपुर ग्रन्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-365/20, 02. संगली पुत्र जयराम नि० पेहरिया पुरवा थाना वजीर गंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-367/20, 03. जयपाल पुत्र छांगुर नि० बेडसर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-368/20, 04. देवी प्रसाद पुत्र शंकर नि० अहिरन पुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-369/20, 05. बट्टी पुत्र रेवई निवासी गेडसर घाट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-370/20, 06. विशाल पुत्र बट्टी निवासी गेडसर घाट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-371/20, 07. राजकुमार पुत्र सीताराम नि० कस्बा वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 02 किलो० यूरिया बरामद कर मु०अ०सं०-372/20, धारा 272 भादवि, 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेश पुत्र गंगाराम निवासी कस्बा व थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-412/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. प्यारे निषाद पुत्र अवतार निषाद निवासी बलगांव थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-390/20, 02. संदीप मौर्या पुत्र धनीराज मौर्या निवासी ढोढेपुर डीहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-391/20, 03. भभूती मणि पाण्डेय पुत्र पाटेश्वरी प्रसाद निवासी गिरधरपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-392/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामलाल पुत्र मनोहरलाल निवासी सकरौरा डीहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-353/20, 02. नफादीन पुत्र मोती निवासी धनावा

थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-354/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना खोडारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. दौलतराम पुत्र रामयज्ञ निवासी कैदराबाद कोरिया थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-295/20, 02. बाबूलाल पुत्र सुरेश मौर्य निवासी खपरहवा खम्हरिया थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-296/20, 03. राजकुमार पुत्र राममिलन निवासी बभनगांव थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-297/20, 04. बब्बन लाल पुत्र रामलाल निवासी पृथ्वीनिया पुर थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-298/20, 05. जमुना प्रसाद पुत्र मोलहू चौहान निवासी छोटकी नचौरी थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-299/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. ताज मोहम्मद पुत्र खालिक निवासी भभुवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-482/20, 02. अजय पुत्र श्याम नाथ निवासी भभुवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-483/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजकुमार पुत्र मोहनलाल निवासी भकुरहा थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-477/20, 02. सावित्री देवी पत्नी स्व0महन्थ निवासी ललहा गोपिया पुर थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-478/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामजीवन पुत्र सूरज लाल निवासी मल्लीपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-306/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

09. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. संजय पुत्र शरन निवासी कहरान थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-479/20, 02. विशाल पुत्र रामसिंह निवासी कहरान थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-480/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

10. थाना कौडिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राहुल पुत्र विश्वानाथ निवासी सरैया माफी थाना कौडिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-217/20, 02. अखिलेश चौहान पुत्र बुधिराम निवासी बनगांव थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर

मु0अ0सं0-218/20, 03. दानबहादुर पुत्र शिवसहाय निवासी बिबियापुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-219/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

11. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. किसनावती पत्नी संजय कुमार निवासी विश्नोहरपुर खपरी पारा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-468/20, 02. सुबासनी पत्नी रमेश निवासी नयनजोत थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-469/20, 03. अनुसुइया पत्नी स्व0रमेश निवासी नयनजोत थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-470/20, 04. विनोद यादव पुत्र लालमन यादव निवासी मल्हीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-471/20, 05. दिलीप गुप्ता पुत्र हरिनरायन निवासी महागौरी नगर थाना गौर जनपद बस्ती के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-472/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

12. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. पाटनदीन पुत्र रामसुन्दर निवासी सलवा सोहस थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-283/20, 02. धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

13. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. देवीदीन पुत्र सन्ते निवासी राधेपुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-902/20, 02. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हरिप्रसाद निवासी राधेपुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-903/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

14. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामपाल पुत्र गंगाराम, 02. दिनेश पुत्र रामपाल निवासी अमवा थाना मनकापुर गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-429/20, 03. सूजी उर्फ सुजीत कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी अमवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा, 04. राजेश पुत्र जगदीश प्रसाद, 05. राजेन्द्र पुत्र गोती थाना कटहर बुटेहनी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-430/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0, 272 भादवि, 06. मायादेवी पत्नी राजेश नि0 तिनघरवा मौजा चॉदपुर बरसैनिया थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-431/20, 07. उर्मिला पत्नी रामकिशोर नि0 तिनघरवा मौजा चॉदपुर बरसैनिया थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-432/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

15. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अमर लाल पुत्र लाल बहादुर नि० केवलपुरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-298/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

छेडछाड करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त सकील खान पुत्र मारुफ खान नि० खिन्दुरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना कटराबाजार में पंजीकृत मु०अ०सं०-304/20, धारा 354.504 भादवि, 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड किया था तथा विरोध करने पर गाली-गुप्ता दी थी। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के भाई द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कटराबाजार पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

दहेज हत्या के आरोप में 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने दहेज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तों-01. रिजवान पुत्र याकूब, 02. सगीर पुत्र सरीफ निवासीगण सिन्धपुर नकहा लोनियनपुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना कटराबाजार में पंजीकृत मु०अ०सं०-305/20, धारा 498ए, 304बी. 3/4 डी०पी० एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 20.11.2020 को वादी इसहात पुत्र रसूल नि० बढेइया लाल गौरवा खुर्द थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फासी लगा कर जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कटराबाजार में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कटराबाजार पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर पहाड़ापुर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना कौड़िया पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी अभियुक्त तारकेश्वर तिवारी पुत्र आशुतोष उर्फ सज्जन तिवारी नि० पूरे पाठक थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को थाना कौड़िया पर पंजीकृत मु०अ०सं०-220/20, धारा 124ए, 504 भादवि व 66 आई०टी०एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करते टिप्पणी की थी जिसका विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें कौड़िया पुलिस ने संज्ञात लेते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

जानलेवा हमला करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. महेश दत्त मिश्रा पुत्र गिरीश दत्त मिश्रा ग्राम छोटी मिश्र पुरवा मौजा गंगरौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-250/20, धारा 307.323.504.506 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0-259/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

संक्षिप्त विवरण—

उक्त अभियुक्त ने अपने भाई के साथ मिलकर वादिनी पूनम देवी पत्नी रामदत्त मिश्र नि0 छोटका मिशिर पुरवा मौजा गंगरौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा व उसके पति रामदत्त मिश्र को दुकान की उधारी मांगने पर गाली-गुप्ता देते हुए लाठी-डण्डों से मारा-पीटा था तथा जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज मे अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त को पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. एस0एस0आई0 रूदल बहादुर सिंह।

02. का0 धर्मेन्द्र सिंह।

03. का0 ओमप्रकाश चौरासिया।